संख्या-74/2025/514(2)/सैंतीस-2-2025-5(2)/2018

प्रेषक,

रवीन्द्र प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-30 मार्च, 2025

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना योजना के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-551/सा.-2/बारह-619(भाग-3)/2024-25, दिनांक-21.03.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या 15 के अधीन लेखाशीर्षक 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-08-जनपद गोरखपुर एवं भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य में उपलब्ध बचत से लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-04-गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य में पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित 17 नवीन गो-संरक्षण केन्द्रों हेतु प्रथम किश्त एवं 02 केन्द्रों हेतु द्वितीय किश्त के रूप में कुल रू0-1458.48 लाख (रूपये चौदह करोड़ अठ्ठावन लाख अड़तालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरणानुसार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र0	जनपद	केन्द्र का विवरण	स्वीकृत धनराशि लाख में
1	बरेली	ग्रा. फुलासी, तह. ऑवला	80.00
2	बरेली	ग्रा. अधकटा नजराना द्वितीय, तह. नवाबगंज	80.00
3	शाहजहांपुर	ग्रा. हसुआ जाजू, तह. सदर	80.00
4	अमेठी	ग्रा. गोरियाबाद, तह. गौरीगंज	80.00
5	अमेठी	ग्रा. सेमरौता, तह. तिलोई	80.00
6	जालौन	ग्रा. धमसेनी, तह. कोंच	80.00
7	जालौन	ग्रा. मवई एट, तह. कोंच	80.00
8	जालौन	ग्रा. नेकापुर चुर्खी, तह. कालपी	80.00
9	बॉदा	ग्रा. अजीतपुरा, तह. अतर्रा	80.00
10	बहराइच	ग्रा. गुलरिहा, तह. पयागपुर	80.00
11	गाजियाबाद	ग्रा. त्योड़ी, तह. मोदीनगर	80.00
12	हापुड़	ग्रा. शेखपुर खिचरा द्वितीय, तह. धौलाना	80.00
13	भदोही	ग्रा. नारेपार उपरहार, तह. ज्ञानपुर	80.00
14	रायबरेली	ग्रा. हेवतहा नेवड़िया	80.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15	रायबरेली	ग्रा. उण्डवा	80.00
16	रायबरेली	ग्रा. खिरोधरपुर	80.00
17	रायबरेली	ग्रा. धूता	80.00
18	देवरिया	ग्रा. करनैल बरनही	80.12
19	अलीगढ़	ग्रा. बराकला	18.36
योग-			**1458.48**

(रूपये चौदह करोड़ अठ्ठावन लाख अड़तालिस हजार मात्र)

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(5) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(6) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-04-गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा आवंटित आर.ई. संख्या बजट-1-926, दिनाँक-30.03.2025 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

<u>पृ0सं0-74/2025/514(3)/सैंतीस-2-2025-5(2)/2018, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।

6- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था ।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।